संख्या-866/2018/1480/22-2-2018-17(100)/2014

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर, 2018**

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मूलचन्द्र दीक्षित पुत्र श्री रामआसरे दीक्षित, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30609/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02-05-2017) दिनांक-28-08-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 28-08-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मूलचन्द्र दीक्षित पुत्र श्री रामआसरे दीक्षित, निवासी-ग्राम-लिलौती मजरा परसिया, थाना-थानगांव, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने वच्छराज सिंह द्वारा अनूपा से कोर्ट मैरिज करने को लेकर आपसी विवाद व रंजिश में दिनांक 23/24.01.1999 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचे, तलवार, अद्धी से वारकर वच्छराज, अनूपा व बच्चे अंकित एवं पृथ्वीपाल सहित कुल 04 लोगों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-185/99 व 435/99 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट टैक कोर्ट संख्या-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 12.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.04.2017 तक 18 वर्ष 02 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 06 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने वच्छराज सिंह द्वारा अनूपा से कोर्ट मैरिज करने को लेकर विवाद व रंजिश में दिनांक 23/24.01.1999 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचे, तलवार, अद्धी से वारकर वच्छराज, अनूपा व बच्चे अंकित एवं पृथ्वीपाल सहित कुल 04 लोगों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में सक्षम होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मूलचन्द्र दीक्षित पुत्र श्री रामआसरे दीक्षित को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मूलचन्द्र दीक्षित (बन्दी संख्या-14916) पुत्र श्री रामआसरे दीक्षित, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति, सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-866/2018/1480(1)/22-2-2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-866/2018/1480/22-2-2018-17(100)/2014

दिनांक 20 नवम्बर, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मूलचन्द्र दीक्षित (बन्दी संख्या-14916) पुत्र श्री रामआसरे दीक्षित, निवासी- ग्राम-लिलौती मजरा परसिया, थाना-थानगांव, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने वच्छराज सिंह द्वारा अनूपा से कोर्ट मैरिज करने को लेकर आपसी विवाद व रंजिश में दिनांक 23/24.01.1999 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचे, तलवार, अद्धी से वारकर वच्छराज, अनूपा व बच्चे अंकित एवं पृथ्वीपाल सहित कुल 04 लोगों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-185/99 व 435/99 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट टैक कोर्ट संख्या-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 12.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.04.2017 तक 18 वर्ष 02 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 06 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **सीतापुर** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने वच्छराज सिंह द्वारा अनूपा से कोर्ट मैरिज करने को लेकर विवाद व रंजिश में दिनांक 23/24.01.1999 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचे, तलवार, अद्धी से वारकर वच्छराज, अनूपा व बच्चे अंकित एवं पृथ्वीपाल सहित कुल 04 लोगों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में सक्षम होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मूलचन्द्र दीक्षित पुत्र श्री रामआसरे दीक्षित को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in